

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक-03 दिनांक-02.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय (R.No-501477) दिनांक-21.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-496(9) दिनांक-16.05.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। रांचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक-1572(9) दिनांक-25.10.2023 एवं 222(9) दिनांक-06.02.2024 द्वारा डा० कुमार से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-215 दिनांक-17.04.2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-10.06.2025 को सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-13 पर मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा० अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय को दिनांक-21.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:—संकल्प की प्रति डा० अनुपम कुमार एवं सभी संबंधितों को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-04-55/2023(स्वा०) 652(9)/ पटना, दिनांक: 13.6.25

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुंगेर प्रमडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा० अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—राचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य राचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/06/2025

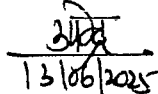
(15)

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,5,7,8,10,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आईटी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13/06/2025
सरकार के अवर सचिव।